

न्यूनतम वन भूमि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुनाल्डी से जोखवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में वन भूमि में कार्य हेतु 2.7825 हे० 3.5775 हे० वन भूमि का प्रयोग की जायेगी। यह न्यूनतम है। इसके कम भूमि में कार्य करना सम्भव नहीं है। E.F.

1. वन भूमि का प्रीमियम जो शासन द्वारा निर्धारित होगा याचक विभाग द्वारा वन विभाग को भुगतान किया जायेगा।
2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो शर्तें निर्धारित की जायेंगी यह याचक विभाग को मान्य होगी।


36


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)


अधीन


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट


वन क्षेत्राधिकारी
रवाँई वन राजि
बड़कोट (उत्तरकाशी)